भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 598

06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

598. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि संबंधित प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी भूमि पर बने मकानों को गिराए जाने की स्थिति में प्राधिकारियों से मुआवजा वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का सरकारी भूमि पर ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) जी, नहीं। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण केवल संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं होता। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कई कारण हैं, जिनमें मुकदमेबाजी के कारण तकनीकी अतिक्रमण भी शामिल है।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है। अतः, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भूमि उपयोग का विनियमन और नगर नियोजन राज्य के विषय हैं और सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, जहाँ तक दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय की संपत्तियों का सवाल है, अतिक्रमण के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 जैसे कानूनी प्रावधानों के माध्यम से निपटा जाता है।

*****